I.T
11.1.19

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

क./ 2160 /आदि.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2018–19/ रायपुर दिनांक 21/12/2018

प्रति,

अधीष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,

....

वि.खं................................ जिला – रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु।**

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क./आ.ला.पो.मै.छा. /101/2018–19/9010 रायपुर दिनांक 17.12.2018

****

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी को सूचित किया जाता है कि आपके संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जिनको विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है। शिक्षा सत्र 2018–19 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही tribal.cg.gov.in/scholarship वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है:–

क.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 20.12.2018 से 15.01.2019
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 20.12.2018 से 25.01.2019
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 20.12.2018 से 30.01.2019
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 10.02.2019 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2018–19 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही किये जावेगे एवं draft proposal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होगें।

नोट :– पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarsip Portal (scholarships.gov.in) पर आवेदन किया जा चुका है उन्हे भी पुनः विभाग की वेबसाइट (tribal.cg.gov.in/escholarship) पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर